

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1291
उत्तर देने की तारीख 14 दिसम्बर, 2022

5जी नेटवर्क को प्रारंभ करना

1291. श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले':

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश भर के चुनिंदा शहरों में 5जी नेटवर्क प्रारंभ किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां उक्त सेवाओं को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू करने का प्रस्ताव है; और
(घ) सरकार द्वारा पड़ोसी देशों से घुसपैठ के मुद्दे को हल करने के लिए किए जा रहे प्रयास का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवसिंह चौहान)

(क) से (ग) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने दिनांक 01.10.2022 से देश में 5जी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है और दिनांक 26.11.2022 की स्थिति के अनुसार 14 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 50 कस्बों में 5जी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। (अनुबंध)

स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए दिनांक 15-06-2022 के आवेदन आमंत्रित करने के नोटिस (एनआईए) और लाइसेंस की शर्तों के अनुसार रोलआउट दायित्वों को स्पेक्ट्रम आवंटन की तारीख से पांच साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना अपेक्षित है। अनिवार्य रोलआउट दायित्वों से बाहर मोबाइल नेटवर्क का आगे विस्तार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के तकनीकी-वाणिज्यिक विचार पर निर्भर करता है।

(घ) दूरसंचार विभाग ने भारतीय तार (संशोधन) नियम 2017 को अधिसूचित किया है, जो दूरसंचार उपकरण (एमटीसीटीई) के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणीकरण को अधिकृत करता है, जो यह निर्धारित करता है कि कोई भी तार जो किसी भी तार के साथ उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने में सक्षम है, भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत स्थापित, अनुरक्षित या कार्यरत हो, उन्हें समय-समय पर तार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदंडों के संबंध में पूर्व अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन से गुजरना होगा।

इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10.03.2021 को दूरसंचार लाइसेंसों में संशोधन किया है जहां सभी लाइसेंसधारियों को दिनांक 15.06.2021 से अपने दूरसंचार नेटवर्कों में केवल विश्वसनीय उत्पादों को कनेक्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह संशोधन दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश (एनएसडीटीएस) के प्रावधानों को लागू करने हेतु जारी किया गया है। इसका उद्देश्य दूरसंचार नेटवर्कों की सुरक्षा को बढ़ाने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए केवल विश्वसनीय स्रोतों से दूरसंचार उपकरण की सॉर्सिंग हेतु एक तंत्र स्थापित करना है।

लोक सभा में दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1291 के उत्तर के भाग (क) से (ग) के संदर्भ में अनुबंध

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कस्बों की सूची जहां दिनांक 26.11.2022 तक 5जी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कस्बा
1	दिल्ली	दिल्ली
2	महाराष्ट्र	मुंबई
		नागपुर
		पुणे
3	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
		सिलीगुड़ी
4	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
		लखनऊ
5	तमिलनाडु	चेन्नई
6	कर्नाटक	बंगलोर
7	तेलंगाना	हैदराबाद
8	राजस्थान	जयपुर
9	हरियाणा	पानीपत
10	असम	गुवाहाटी
11	केरल	कोच्चि
12	बिहार	पटना
13	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
14	गुजरात	अहमदाबाद
		गांधीनगर
		भावनगर
		मेहसाणा
		राजकोट
		सूरत
		वडोदरा
		अमरेली
		बोटाड
		जूनागढ़
		पोरबंदर
		वरावल
		हिम्मतनगर
		मोडासा
पालनपुर		
पाटन		

		भुज
		जामनगर
		खंभालिया
		मोरवी
		वाधवान
		आहवा
		भरुच
		नवसारी
		राजपिपला
		वलसाइ
		व्यारा
		आनंद
		छोटा उदयपुर
		दोहद
		गोधरा
		लुनावाड़ा
		नडियाद
